निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 247/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. धर्मवीर सिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह
2. ज्योति पत्नी धर्मवीर सिंह

निवासी 28 भूरथल बाया जैतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

3. दुर्गा शंकर पुत्र अमर सिंह निवासी 38, राजपूतों का मोहल्ला भूरथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर
4. मुकुट सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी 45 अपोटिज बिग जैन मन्दिर, सांगानेर जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:–

1.श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

2. श्री हमेन्द्र कुमार वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से ।

आदेश दिनांक 09.09.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.06.2016 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में (1) अप्रार्थी धर्मवीर सिंह पुत्र दुर्गा सिंह राजपूत के स्वामित्व की सम्पत्ति पटटा संख्या 2302 ग्राम भूरथल ग्राम पंचायत भूरथल तहसील आमेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 476 वर्गगज एवं (2) अप्रार्थी दुर्गा सिंह पुत्र अमर सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति पटटा संख्या 2303 ग्राम भूरथल ग्राम पंचायत भूरथल तहसील आमेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 506 वर्गगज को बन्धक रख कर 12,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अप्रार्थीगण को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री हेमेन्द्र कुमार वर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 को क्रम संख्या 13 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार किया और राशि जमा कराने के लिए अवसर चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी को और अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 12,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 9,84,464/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण मे वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में (1) अप्रार्थी धर्मवीर सिंह पुत्र दुर्गा सिंह राजपूत के स्वामित्व की सम्पत्ति पटटा संख्या 2302 ग्राम भूरथल ग्राम पंचायत भूरथल तहसील आमेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 476 वर्गगज एवं (2) अप्रार्थी दुर्गा सिंह पुत्र अमर सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति पटटा संख्या 2303 ग्राम भूरथल ग्राम पंचायत भूरथल तहसील आमेर जिला जयपुर क्षेत्रफल 506 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

9. आदेश आज दिनांक 09.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/10/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर